कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा

संख्या –2798/सी0आर0ए0–13–दै0आ0–ई–टेण्डर/2018–19 दिनांक – अप्रैल 26 2018

अति अल्प कालीन निविदा

सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ के पत्र संख्या–1039/1–10–2018–33(35)/2018 दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के क्रम में जनपद महोबा के अन्त्योदय परिवारों में से जिनकी आजीविका प्राकृतिक आपदा (सूखा) से प्रभावित हुई, ऐसे परिवारों को प्रति परिवार निम्नवत् खाद्य सामग्री उच्च गुणवत्ता की क्रय की जानी है :–

क्र0सं0	खाद्यान्न एवं राहत सामग्री का विवरण	मात्रा
1	आटा	15 कि0ग्रा0
2.	आलू	25 कि0ग्रा0
3.	चने की दाल	05 कि0ग्रा0
4.	सरसों का तेल	03 लीटर
5.	शुद्ध देशी घी (पराग)	01 कि0ग्रा0
6.	मिल्क पाउडर (पराग)	01 कि0ग्रा0
7.	आयोडीन युक्त नमक	01 कि0ग्रा0

निविदायें दिनांक 03.05.2018 को अपरान्ह 5.00 बजे तक स्वीकार की जायेंगी एवं दिनांक 04.05.2018 को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह टेक्नीकल बिड, जो ऑनलाइन जिलाधिकारी कार्यालय महोबा में जिला आपदा राहत समिति के समक्ष खोली जायेगी। टेक्नीकल बिड में पात्र निविदादाता की फाईनेन्शियल बिड दिनांक 04.05.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी। निविदा का नियम व शर्तें विस्तृत रूप से वेबसाइट http://etender.up.nic.in एवं http://mahoba.nic.in पर देखी जा सकती है।

(सहदेव),
जिलाधिकारी,
महोबा

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि –1. जिला सूचना अधिकारी, महोबा को इस निर्देश के साथ कि व्यापक रूप से जनपद महोबा में प्रचालित होने वाले 02 समाचार पत्रों उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन न्यूनतम दरों व स्पेस में प्रकाशित करायें तथा समाचार पत्रों की 2–2 प्रतियां सम्बन्धित संवाददाता/सम्पादक से धनराशि के भुगतान हेतु बिल सहित जिला संग्रह कार्यालय, कलेक्ट्रेट, महोबा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, महोबा को इस आशय से कि उक्त निविदा सूचना जनपद की वेबसाइट पर उपलब्ध करने का कष्ट करें।
3. समस्त तहसीलदार जनपद महोबा नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट महोबा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

26.4.018

(सहदेव),
जिलाधिकारी,
महोबा

कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा

संख्या – 2799/सी0आर0ए0–13–दै0आ0–ई–टेण्डरनि0 (2018–19)दिनांक–अप्रैल,26 2018

अति अल्पकालीन निविदा के नियम एवं शर्तें–

1. यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। साथ ही यह निविदा विज्ञप्ति जनपद महोबा की वेबवाइट http://mahoba.nic.in पर उपलब्ध है।
2. निविदादाता खाद्यान्न आपूर्ति पंजीकरण प्रमाण–पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रदत्त **TIN/GST** प्रमाण पत्र एवं विगत तीन वर्षों की बैलेंस शीट/आई0टी0आर0/टर्न ओवर, जो न्यूनतम 05 करोड़ होने चाहिए। सभी प्रपत्रों की छायाप्रति एवं ऑनलाइन उपलब्ध करानी होगी।
3. निविदादाता द्वारा विभागीय मूल्य/लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में 10 प्रतिशत तक न्यूनतम दरें डाले जाने पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक न्यूनतम दरों पर 1 प्रतिशत कम दर पर परफॉरमेन्स गारण्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त आपूर्ति आदेश निर्गत किये जायेंगे। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी 02 प्रतिशत धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. धरोहर धनराशि 02 प्रतिशत (अर्नेस्ट मनी) 10.00 लाख, जो एन0एस0सी0, एफ0डी0आर0, पोस्ट ऑफिस/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत प्रतिभूति के रूप जिलाधिकारी महोबा के पक्ष में बन्धक होना अनिवार्य है। इसकी स्कैन कॉपी ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा खोले जाने के समय निविदादाताओं द्वारा टेक्नीकल बिड (समस्त प्रपत्र) के लिफाफे के साथ–साथ आपूर्ति किये जाने वाले खाद्यान्न का सैम्पुल सेट समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिससे समिति द्वारा गुणवत्ता पर विचार किया जायेगा।
6. निविदा स्वीकृत होने पर फर्म/संस्था को आपूर्ति आदेश निर्गत होने के तीन दिवस के अन्दर खाद्यान्न की आपूर्ति करनी होगी। समय से आपूर्ति न करने पर फर्म/संस्था की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा आपूर्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
7. निविदा/आपूर्ति में पात्र ठेकेदार द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि उसके द्वारा उक्त आपूर्ति को सबलेट (किसी अन्य के माध्यम) से नहीं किया जायेगा।
8. निविदा के अनुसार पात्र ठेकेदार/फर्म को आदेश निर्गत होने के पूर्व अवशेष 08 प्रतिशत की धनराशि जमा करनी होगी।
9. **आलू, चने की दाल, आटा, आयोडीनयुक्त नमक उच्च गुणवत्तापूर्ण एवं सरसों का तेल, शुद्ध देशी घी, मिल्क पाउडर ब्राण्डेड होने चाहिए।** आलू की आपूर्ति पृथक से बोरी में एवं आटा, चने की दाल, शुद्ध देशी घी, सरसों का तेल, मिल्क पाउडर एवं आयोडीनयुक्त नमक एक गत्ते के पैकिट में रखकर सुरक्षित आपूर्तित किया जायेगा।
10. जनपद के लगभग 16224 सूखे से प्रभावित परिवारों हेतु लगभग 16224 खाद्यान्न सामग्री के पैकेट क्रय किये जाने हैं, जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार कम/ज्यादा भी हो सकती है, जिसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
11. खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति जनपद की तहसीलों/यथा निर्धारित स्थलों पर करना होगा, इस हेतु होने वाला परिवहन व्यय संस्था/फर्म को स्वयं वहन करना होगा।
12. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में भुगतान होने पर नियमानुसार करों की कटौती की जायेगी।
13. आपराधिक रिकॉर्ड तथा भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काली सूची में डाले गये ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। इस आशय का शपथ पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

14. निविदा प्रक्रिया हेतु निविदादाताओं द्वारा अपने से सम्बन्धित सामान्य जानकारी रू0 100/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी वकील द्वारा सत्यापित शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। PAN व TAN नम्बर भी शपथ पत्र में वर्णित किये जायेंगे।
15. आपूर्तिकर्ता फर्म को खाद्यान्न सामग्री आपूर्ति का विगत तीन वर्षो में किसी भी एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
16. विवाद की स्थिति में मा0 न्यायालय का क्षेत्राधिकार जनपद महोबा होगा।
17. अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिना कारण बताये निविदा निरस्त की जा सकती है।
18. किसी अन्य जानकारी के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

26.4.018

(सहदेव),
जिलाधिकारी,
महोबा

निविदा फार्म का शुल्क –
रू0 1000.00 (एक हजार रू0 मात्र)

कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा में सूखा राहत के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री की आपूर्ति हेतु ई–टेण्डरिंग के लिए निविदा प्रपत्र

- **टेक्नीकल बिड (Envelop-1)**

ऑनलाईन निविदा स्वीकार करने का दिनांक व समय– 03.05.2018 अपरान्ह 5.00 बजे तक
निविदा खोले जाने की तिथि व समय – 04.05.2018 को समय 11.00 बजे से टेक्निकल बिड एवं 3:00 बजे से फाइनेन्शियल बिड

क्रमांक	विवरण	निविदादाता द्वारा भरा जाये
1.	कम्पनी / फर्म / एजेंसी का नाम	
2.	कम्पनी / फर्म / एजेंसी के प्रोपराइटर का नाम, कार्यालय का पता दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या, ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाइल नम्बर	
3.	कम्पनी / फर्म / एजेंसी के पंजीकरण का विवरण	
4.	अर्नेस्ट धनराशि जमा का विवरण	
5.	निविदा शुल्क जमा का विवरण–	बैंक का नाम.......................... बैंक ड्राफ्ट सं0......................... दिनांक .... धनराशि (अंकों में).................... (शब्दों में)..... ....
6.	कम्पनी / फर्म / एजेंसी को पंजीकृत करने वाली संस्था का नाम–	
7.	पंजीकरण का दिनांक–	
8.	कम्पनी / फर्म / एजेंसी का पेन नं0 –	
9.	कम्पनी / फर्म / एजेंसी का टिन नं0–	

10– सरकारी कार्य / सामग्री की आपूर्ति सम्बन्धी कार्य का अनुभव यदि कोई हो–

11– निविदा के साथ धरोहर राशि रू0............................... का एन0एस0सी0, एफ0डी0आर0 बैंक ड्राफ्ट / बैकर्स चेक जिलाधिकारी महोबा के पक्ष में संलग्न है।

12– आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का परीक्षण जिला आपदा राहत समिति द्वारा किये जाने के उपरान्त ही अन्तिम निर्णय मान्य होगा।

13– निविदा का नियम व शर्तें विस्तृत रूप से वेबसाइट http://etender.up.nic.in एवं http://mahoba.nic.in पर लिखी गयीं है, जिनके अनुसार निविदादाता से कार्यवाही अपेक्षित है।

14 – निविदा खोलने के समय निविदाकर्ता को आपूर्ति की जाने वाली सभी सामग्री का नमूना (सैम्पुल) प्रस्तुत करना होगा।

15– उपरोक्त क्रम में अंकित विवरण से सम्बन्धित अभिलेख कम्पनी / फर्म / एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा निविदा खुलने के समय हार्डकॉपी प्रस्तुत की जायेगी।

संगत अभिलेखों की छायाप्रतियां उपरोक्त क्रम में संलग्न कर तकनीकी निविदा खुलने के समय जमा करायी जायेंगी।

घोषणा–पत्र

मैं घोषणा करता हूं कि मैंने जिलाधिकारी महोबा द्वारा प्रकाशित ई–टेण्डरिंग विज्ञप्ति के निविदा हेतु निर्धारित शर्तों एव नियमों का मैंने भलीभांति अध्ययन कर लिया है और उक्त में उल्लिखित नियम और शर्तों का पूर्ण रूपेण पालन करने के लिए कटिबद्ध हूं। यदि को ई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाता है तथा मेरी निविदा शर्तों के अनुरूप नहीं पायी जाती है, तो मेरी निविदा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नक–

फर्म संचालक का नाम व हस्ताक्षर –

पता –

मोबाइल नं0 –

• **फाईनेन्सियल बिड (Envelop-2)**

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महोबा।

विषय– **जिलाधिकारी कार्यालय में सूखा से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न एवं राहत सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में।**

- निविदादाता फार्म/संस्था का नाम –
- निविदादाता फार्म/संस्था का पूरा पता –

क्र0 सं0	मात्रा	खाद्यान्न एवं राहत सामग्री का विवरण	धनराशि (अंको मे)	धनराशि (शब्दों मे)
1	15 कि0ग्रा0	आटा		
2.	25 कि0ग्रा0	आलू		
3.	05 कि0ग्रा0	चने की दाल		
4.	03 लीटर	सरसों का तेल		
5.	01 कि0ग्रा0	शुद्ध देशी घी (पराग)		
6.	01 कि0ग्रा0	मिल्क पाउडर (पराग)		
7.	01 कि0ग्रा0	आयोडीन युक्त नमक		
	योग			

नोट– सेवाप्रदाता कम्पनी/संस्था को, राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार समस्त करों का भुगतान स्वयं करना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

स्थान–

संस्था का नाम व मुहर–

तिथि–